



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 178 /NG/2020/Mech(P)/SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो रेलवे भर्ती बोर्ड/मुजफ्फरपुर एवं रांची द्वारा सहायक लोको पायलट वेतन बैंड पीबी 1 (5200-20200) ग्रेड पे 1900 (लेवल-2) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित हैं, तथा इस कार्यालय के पत्रांक का/227/आरआरबी/प्रशिक्षण/भर्ती/सम./17 दिनांक 25.10.19 एवं दिनांक 30.10.19 द्वारा आवश्यक चिकित्सा जांचोपरान्त प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु वमविई/पूर्व मध्य रेल, दानापुर के अधीन भेजे गये थे, एवं मयाई/पावर/सम. के पत्रांक यों/पावर/136/विविध/1/सम. दिनांक 18.03.20 द्वारा प्राप्त ETTC/DNR के प्रशिक्षण परिणाम तथा प्राचार्य/जेडआरटीआई/मुजफ्फरपुर के पत्रांक T/327/23/ALP(Initial)/Pro दिनांक 19.02.2020 द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण हैं, को सहायक लोको पायलट वेतन बैंड पीबी 1 (5200-20200) ग्रेड पे 1900 (लेवल-2) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने अंकित संयुक्त क्रू लॉबी में पदस्थापित किया जाता है। पदस्थापना पर इनका वेतन रू0 19900 /-(लेवल-2 में) होगा एवं समय-समय पर नियमानुसार स्वीकार्य अन्य भत्ते देय होगा, जो अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा :-

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	पिता का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	प्रथम चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र सं0/दिनांक एवं श्रेणी	पदस्थापना स्थल	प्रारंभिक प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान
01	तनवीर आलम सिद्दीकी	मो. निजामुद्दीन सिद्दीकी	29.10.88	705240 Dt. 08/09.07.19 Fit in Aye One (A1) issued by ACMS/CKP	संयुक्त क्रू लॉबी/नरकटियागंज	144		Tanweer Alam 20-03-2020 

उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंधिक है।

उक्त सभी अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से शासित होंगे। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस के विपरीत प्रतिवेदन आने एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट में 12 वर्षों तथा प्रादेशिक सेवा में 03 वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी।



इनकी रेल सेवा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के तहत शासित होगी। इन्हें दिनांक 13.03.2020 से 17.03.2020 तक की अवधि को प्रशिक्षण अवधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका देय होगा, दिनांक 18.03.2020 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अन्य कर्मचारियों के साथ इनकी नियुक्ति पदस्थापना नहीं की जा सकी। इनकी वरीयता रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी) 1-89/एसआर 6/32(पीएनएम) दिनांक 19.03.93 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उक्त अभ्यर्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के पूर्व विहित लनिंग अनिवार्य है।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(चन्द्रशेखर प्रसाद)  
मंडल यांत्रिक इंजीनियर (पावर)  
समस्तीपुर

दिनांक 03.2020

संख्या - का/227/111/प्रशिक्षु/सलोपा/17/भाग-111

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर
2. वमंत्रिप्र / मयाई(पावर) / समस्तीपुर
3. मुख्य क्रू नियंत्रक / संयुक्त क्रू लॉबी, नरकटियागंज
4. मुख्य शक्ति नियंत्रक / समस्तीपुर
5. मुकायमी यांत्रिक (बिल) / बिल लिपिक / संयुक्त क्रू लॉबी, नरकटियागंज
6. संबंधित कर्मचारीगण
7. अभिलेख हेतु
8. मुकायमी (पास) कार्यालय में
9. मंडल मंत्री / ईसीआरकेयू अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो., समस्तीपुर मंडल



कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)  
समस्तीपुर